

- (vii) सम्बद्धता आदेश निर्गत करने के पहले विश्वविद्यालय के कुलपति तथा कुलसचिव इस बात का मनी-भाति परीक्षण कर लेंगे कि विभिन्न मानकों का पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है और जो भी कमी प्रदर्शित हुयी है उसकी पूर्ति कर ली गयी है। अगर भविष्य में मानकों के विपरीत महाविद्यालय का संचालन पाया गया व अभिलेखों की अप्रनाणिकता प्रकाश में आयी तो यह पूर्व अनुमति स्वतः निरस्त संगड़ी जायेगी।
- (viii) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- (ix) मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012, दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी०एस०जे०एम०वि०वि०/सम्ब०/3514/2013

दिनांक 12-9-13

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्धक, डा० बीरेन्द्र स्वरूप इन्स्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर स्टडीज, साकेत नगर, कानपुर को इस आशय से प्रेषित है कि शासन के सम्बद्धता आदेश में वर्णित उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत वी०वी०ए० पाठ्यक्रम में 120 सीट्स निर्धारित की जाती है। महाविद्यालय में संदर्भित पाठ्यक्रम/विषयों में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र कार्याभार ग्रहण आख्या तथा अनुबन्ध पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. उप कुलसचिव (परीक्षा) सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।
3. सहायक कुलसचिव (सम्ब०), सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।
4. सिस्टम मैनेजर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।
5. इंचार्ज, ई०डी०पी०सेन्टर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।


(मुज़फ्फर हुसैन)
कुलसचिव